न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ़।

प्रकरण संख्या :– ..4...../2018

प्रार्थना–पत्र :– लिछमादेवी पत्नी श्री हीराराम जाति नायक निवासी 88 जीबी तहसील अनूपगढ़ ।

निर्णय

दिनांक :– 7-3-18

प्रार्थीया लिछमादेवी पत्नी श्री हीराराम जाति नायक निवासी 88 जी.बी. तहसील अनूपगढ़ ने इस कार्यालय में दिनांक 15/01/2018 को एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के पति हीराराम पुत्र श्री गुलाराम जाति नायक निवासी 88 जीबी ने अपना रकबा वाके चक नं. 88 जीबी का मु. न. 42 का 25–00 बीघा कमाण्ड खातेदारी भूमि है प्रार्थीया के पति ने उक्त रकबा की वसयीत अपने जीवनकाल में प्रार्थीया के पक्ष में पंजीयन करवाई हुई है। प्रार्थीया ने उक्त वसीयत दस्तावेज की प्रति व पति का मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर वर्णित वसीयत के अनुसार नामान्तकरण किये जाने के निवेदन किया है।

प्रार्थीया के उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली संधारित कर पेशी पर ली गई। पटवारी हल्का से मौका व रिकार्ड की विस्तृत रिपोर्ट ली गई व सार्वजनिक सूचना दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाकर प्रार्थीया के वसीयत प्रार्थना–पत्र की पुष्टि में साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। मुताबिक पटवारी रिपोर्ट चक 88 जीबी का मु. न. 298/431 का 6.325 हैक्टर नालीदोयम भूमि खातेदार हिरा पुत्र गुला नायक सा. 88जीबी के नाम से दर्ज रिकार्ड है। पटवारी रिपोर्ट मुताबिक रकबा स्वअर्जित है यह भूमि मृतक खातेदार को बतौर रिप्यूजी आवंटन से प्राप्त हुई है। इस भूमि बाबत कोई स्थगन – वाद नहीं है। सार्वजनिक आपत्ति सूचना दिनांक 16 जनवरी 2018 को समाचार पत्र हांसल समाचार में प्रकाशित करवाई गई, जिस पर आज तक किसी ने कोई उज्र वा एतराज पेश नहीं किया है। वसीयत में गवाह ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल वा नत्थूराम पुत्र गणपतराम ने अपने तस्दीकशुदा शपथ–पत्र प्रस्तुत किये जिन्हे पत्रावली में शामिल किया गया।

इस प्रकरण के वसीयत दस्तावेज में खातेदार हीराराम पुत्र श्री गुलाराम ने अपनी पत्नी लिछमादेवी पत्नी श्री हीराराम जाति नायक निवासी 88 जीबी तहसील अनूपगढ के पक्ष में अपनी भूमि वाके चक नं. 88 जीबी का मु.न. 42 का 25–00 बीघा कमाण्ड खातेदारी भूमि की वसीयत निष्पादित की है। वसीयतकर्ता द्वारा अपनी स्वेच्छा से वसीयत की गई है जिसकी पुष्टि होती है व मुताबिक पटवारी रिपोर्ट रकबा वसीयतकर्ता द्वारा स्वअर्जित व खातेदारी है व मौका पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त है।

उक्त मिसल में प्रस्तुत सबूतो का भली भांती अध्ययन किया व भली भांती विवेचन किया गया जिसके आधार पर प्रार्थीया का प्रस्तुत वसीयत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है व पटवारी हल्का को आदेश दिये जाते है कि सलंग्न वसीयत अनुसार भूमि का नामान्तकरण प्रार्थीया लिछमादेवी के नाम से दर्ज कर निस्तारण करवाये। पत्रावली नम्बर शुमार से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 7-3-18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

निर्णय की प्रति पक्षकारो को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार निर्णय की पालना कर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में पेश करावे।

753

(दीनाराम लूण)
तहसीलदार (भू.अ.)
अनूपगढ़।

तहसीलदार (भू.अ.)
अनूपगढ़